राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/4567/2006/अजमेर

पुरुषोत्तम पुत्र श्री बृजनाथ सेन जाति राजपूत निवासी खवास खवास तहसील केकड़ी जिला अजमेर ---अपीलांट

बनाम

1—भागीरथ पुत्र गोविन्दा जाति चमार निवासी खेडी गोपालपुरा पटवार हल्का खवास तहसील केकड़ी जिला अजमेर।
4—राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी --रेस्पोडेंट्स

खण्ड पीठ

श्री आर.डी.मीणा, सदस्य
श्री एल.आर.गुगरवाल, सदस्य

उपस्थितः—

(1) श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट्स
(2) अभिभाषक रेस्पो. को बार बार आवाज दिलाए जाने के बावजूद उपस्थित नहीं।

निर्णय दिनांक : 21—06—2022

1— यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर द्वारा अपील संख्या 6/2005 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.12.2005 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2— अपील के संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार रेस्पोडेंट संख्या 1भागीरथ ने रेस्पोडेंट संख्या 2 सरकार के विरुद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1723, 1745, 1661 वाके ग्राम खेडी गोपालपुरा (खवास) बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के समक्ष पेश किया। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 21—3—2001 द्वारा उक्त वाद को

निरस्त कर दिया, जिसके विरुद्ध रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के समक्ष पेश की जो उनके द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28–12–2005 द्वारा खारिज करदी गयी, लेकिन निर्णय के अन्त में यह अंकित कर दिया गया कि ''न्यायहित में आदेश दिये जाते हैं कि विवादित भूमि को सिंचाई विभाग के साथ अपीलांट की गैर खातेदारी में दर्ज किया जावे ताकि बांध खाली होने पर अपीलांट खेती कर सके''। उक्त निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत द्वितीय अपील राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– अपील पर अभिभाषक अपीलांट्स की एकतरफा बहस सुनी गयी।

5– दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य तर्क दिया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1723 खतौनी एकीकरण सम्वत 2022 में पुरुषोत्तम वल्द बृजनाथ अपीलांट की खातेदारी में दर्ज है एवं खसरा गिरदावरी सम्वत् 2024 से 2027 में वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1723 पर अपीलांट की काश्त दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत् 2023 से 2026 के कालम नम्बर 4 में अपीलांट के नाम का अंकन है। उक्त दस्तावेज पर गौर नहीं कर विद्वान अपीलीय न्यायालय ने रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम गैर खातेदारी दर्ज करने का जो निर्णय पारित किया है वह विधि विरुद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। उनका तर्क है कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट की खातेदारी में अंकित थी। रेस्पोडेंट्स संख्या 1 का विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसके बावजूद विद्वान अपीलीय यन्यायालय ने बिना किसी आधार के रेस्पोडेंट संख्या 1 का नाम गैर खातेदारी में दर्ज करने के आदेश पारित कर कानूनी त्रुटि की है। अन्त में अपील स्वीकार की जाकर राजस्व अपील अधिकारी अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28–12–2005 में दिये गये निर्णय ''उपरोक्त विवेचनानुसार

अपील अस्वीकार की जाती है'' उक्त अंकन को यथावत रखते हुए ''किन्तु न्यायहित में आदेश दिये जाते हैं कि विवादित भूमि सिचाई विभाग के साथ अपीलांट की गैर खातेदारी में दर्ज किया जावे'' के अंकन को निरस्त किया जावे, का निवेदन किया ।

6— हमने अभिभाषक अपीलांट की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली का अध्योपरान्त अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या—1 की ओर से परीक्षण न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने पर परीक्षण न्यायालय ने वाद में दो तनकी कायम कर वादी का वाद विवादित आराजी पर अवैध अतिमक्रमी के रुप में काबिज मानते हुए खारिज किया गया है। वादी की ओर से प्रस्तुत जमाबन्दी सं0 2023 से 26 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त प्रदर्श में खसरा नम्बर 1745, 1661, 1770, 1792 व 1795 का खातेदार काश्तकार वादी/रेस्पोडेंट संख्या—1 है किन्तु वर्किंग नकल जमाबन्दी प्रदर्श पी.—2 में खसरा नम्बर 1661 एवं खसरा नम्बर 1723 पर सिंचाई विभाग खातेदार काश्तकार दर्ज है। खसरा नम्बर 1723 पर संवत 2037 से 2049 की खसरा परिवर्तनशील में रेस्पोडेंट संख्या 1 का रकबा 7.03 बीघा पर काश्त दर्ज है। यह एक अतिक्रमी की हैसियत से उसका इस पर भूमि पर वर्तमान में कब्जा है। ऐसी स्थिति में जबकि अपीलांट पुरुषोत्तम का खसरा नम्बर 1723 पर कब्जा भी नहीं है और न ही उसके नाम खातेदारी में दर्ज है, उसे गैर खातेदार के रुप में बांध खाली होने पर सिंचाई करके अस्थाई काश्त करने के अधिकार भी नही दिये जा सकते हैं। इसके अलावा खसरा परिवर्तनशील में वादी को तीन सालाना अस्थाई आवंटन का नोट दर्ज है एवं सिंचाई विभाग का नाम भी दर्ज है। उक्त सभी के अवलोकन से यह बखूबी स्पष्ट होता है कि विवादित आराजियात की खातेदार काश्तकार सिंचाई विभाग है। विवादित आराजी की किस्म तालाबी है। ऐसी भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी

अधिकार सृजित नहीं किये जा सकते हैं। परीक्षण न्यायालय के समक्ष जो तनकी कायम की गयी हैं उनको वादी द्वारा किसी भी साक्ष्य से साबित नहीं किया है। यदि विवादित आराजी पर कुछ समय के लिए कब्जा वादी का मान भी लिया जावे तो वह एक अतिक्रमी की हैसियत से है और एक अतिक्रमी व्यक्ति को राजकीय भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं होते हैं।विद्वान परीक्षण न्यायालय ने वादी का वाद इस आधारपर खारिज किया है कि वादी अवैध अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है और अवैध अतिक्रमी को खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते हैं। उक्त निर्णय व डिक्री की अपील प्रथम अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत होने पर उनके द्वारा इस निष्कर्ष के साथ निर्णय पारित किया है कि जमाबन्दी संवत 2023 से 2026 वादी खातेदार है इसके बादकी खसरा गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार वह राजकीय भूमि पर अतिक्रमी रहा है। उसे अस्थायी आवंटन भी किया गया है वर्तमान में भूमि सिचाई विभाग को आवंटित होकर बांध बन चुका है। जिसकी खातेदारी वादी/अपीलांट को नहीं दी जा सकती है। पत्रावली से यह भी स्पष्ट है कि वादी को कोई मुआवजा भुगतान नहीं किया गया है। तहसीलदार केकड़ी द्वारा जिला कलक्टर अजमेर को दिनांक 20–6–2003 को पत्र प्रेषित कर यह अवगत कराया है कि विवादित आराजी भू संशोधन के बाद से सिंचाई विभाग के खाते में चली गयी है। प्रार्थी को मुआवजा नहीं मिला है। अब विवादित भूमि की वादी/अपीलाट को खातेदारी दिया जाना संभव नहीं है। अन्त में अपील खारिज करते हुए आदेश दिये गये हैं कि विवादित भूमि को सिंचाई विभाग के साथ वादी/अपीलांट की गैर खातेदारी में दर्ज किया जावे ताकि बांध खाली होने पर अपीलांट खेती कर सके।

7– अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय के विरुद्ध हाल अपीलांट श्री पुरुषोत्तम पुत्र श्री बृजनाथ की ओर से अपील

प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1723 खतौनी एकीकरण सं. 2022 में वह उक्त आराजी का खातेदार दर्ज है एवं खसरा गिरदावरी सम्वत 2024 से 2026 के कालम नम्बर 4 में उसका नाम अंकित है। उक्त दस्तावेज पर गौर नहीं कर बिना अपीलांट के सुने विद्वान अपीलीय न्यायालय ने रेस्पोडेंट संख्या एक के नाम गैर खातेदारी दर्ज करने का जो निर्णय पारित किया है उसे निरस्त किया जावे। चूँकि जब विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज होकर सिंचाई विभाग के नाम दर्ज है और विवादित आराजी में सिंचाई विभाग का बांध बन चुका है, जिससे वादी/रेस्पोडेंट संख्या एक का विवादित आराजी पर अवैध अतिक्रमण मानते हुए वादी का वाद खारिज किया गया है और विवादित आराजी पर वादी का कोई हक व अधिकार नहीं माना गया है तो वर्तमान अपीलांट पुरुषोत्तम का भी विवादित आराजी पर कोई हक व अधिकार नही बनता है। जिससे उसकी ओर से प्रस्तुत की गयी अपील निराधार है। हाल अपीलांट ने अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कराने का निवेदन किया गया है। जबकि तहसीलदार केकड़ी द्वारा जिला कलक्टर अजमेर को दिनांक 20–6–2003 को पत्र प्रेषित कर स्वीकार किया है कि विवादित आराजी भू संशोधन के बाद से सिंचाई विभाग के खाते में चली गयी है। प्रार्थी/वादी/रेस्पोडेंट संख्या एक को मुआवजा नहीं मिला है। अब विवादित भूमि की वादी/अपीलाट को खातेदारी दिया जाना संभव नहीं होने के कारण अपीलीय न्यायालय द्वारा न्यायहित में आदेश दिये गये हैं कि विवादित भूमि को सिंचाई विभाग के साथ वादी/अपीलांट की गैर खातेदारी में दर्ज किया जावे ताकि बांध खाली होने पर अपीलांट खेती कर सके। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या एक को वादग्रस्त आराजी का अस्थायी आवंटन भी किया गया है, लेकिन वर्तमान में भूमि सिंचाई विभाग को आवंटित

होकर बांध बन चुका है। जिसकी खातेदारी वादी को नहीं दी गयी है। ऐसी स्थिति में बांध खाली होने पर वादी को खेती करने की इजाजत के साथ साथ विवादित भूमि को सिंचाई विभाग के साथ अपीलांट की गैर–खातेदारी में दर्ज करने के जो आदेश दिये गये हैं विधि सम्मत है, जिनमें हम हस्तगत अपील के माध्यम से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते हैं।

8– अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह द्वितीय अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28–12–2005 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.आर. गुगरवाल) (आर.डी.मीणा)

सदस्य सदस्य